

मिसिल संख्या 4(37)2017/राज्य/आरसीडी / एफ.एस.एस.ए.आई.  
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अधीन एक सांविधिक प्राधिकरण)  
(विनियामक अनुपालन विभाग)  
एफ.डी.ए.भवन, कोटला रोड़, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 03 अक्टूबर, 2018

विषय : खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में नियम 2.1.3 पर स्पष्टीकरण।

महोदय,

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती करते समय योग्यता और प्रशिक्षण से संबंधित एफएसएस नियम, 2011 के नियम 2.1.3 पर स्पष्टीकरण के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।


2. इस संबंध में यह अवगत कराया जाता है कि खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम, 2011 की धारा 2.1.3.1 (i) अथवा (ii) में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यताएँ, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अनिवार्य है। तथापि धारा 2.1.3.1 (iii) में दर्शाई गई "सफलतापूर्वक प्रशिक्षण" की शर्त ऐसे नियुक्त अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के धारा 37 के अंतर्गत उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने से पूर्व होना अनिवार्य है।

3. आरंभिक प्रशिक्षण से संबंधित अन्य जानकारियों पत्र सं. 17(37)/2017/ट्रे. पॉलिसी/आर.सी.डी. दिनांक 9 अगस्त, 2017 के द्वारा पहले ही दी जा चुकी हैं, जो कि निम्नानुसार हैं :-

- (क) खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के आरम्भिक प्रशिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री,
- (ख) विनियामक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध संकाय सदस्यों की सूची, और
- (ग) खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण मैनुअल।

4. इसके अलावा, एफएसएसएआई ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नामित प्रशिक्षण संस्थानों की सूची और एफएसएसए द्वारा इन प्रशिक्षण पर किए जाने वाले व्यय का विवरण साझा कर चुका है।

भवदीय,

  
(दया शंकर)  
संयुक्त निदेशक (वि.अ.वि.)

सेवा में,

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेश
2. मुख्य सूचना प्रद्योगिकी अधिकारी, एफएसएसएआई : आपसे अनुरोध है कि इसे हमारी वेबसाइट पर अपलोड करावे।